

वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद चमोली में परखाल-कैदारकोट मोटर मार्ग के किमी 0 13 से ग्राम कुश व कुशदेव महादेव हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.753 हे० वन पंचायत, कुल 1.753 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
थराली, (चमोली)

अधीक्षक/अधीक्षिका
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
चमोली (चमोली)
थराली, (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
पुष्पेश्वरी सिंह राज
मारायनगढ़